

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग (डीग)

<p>तारीख हुकम दिनांक किस्म</p>	<p>पटवारी, पटवार मंडल... <u>कैरत</u> ... बनाम राजस्थान सरकार संख्या: <u>30/25</u> हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज GCMS No- <u>2025/307</u> प्रार्थना पत्र: अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए.</p>
<p>26.11.2025</p>	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल <u>कैरत</u> द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक <u>223/2025/3373</u> दि. <u>26.11.25</u> से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल <u>कैरत</u> के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार <u>डीग</u> की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल <u>कैरत</u> ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकैँ ग्राम <u>जायलगाँव</u> स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या <u>17</u> खसरा नं० <u>161/0222</u> के काश्तकार <u>गुड्डासिंह</u> पुत्र <u>जयपालसिंह</u> हिस्सा .. जाति <u>जाट</u> निवासी <u>जायलगाँव</u> खातेदार राहिन हिस्सा <u>140</u> बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <u>कैरत</u> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <u>कैरत</u> दुरुस्त किया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार <u>डीग</u> की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकैँ ग्राम <u>जायलगाँव</u> स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या <u>17</u> खसरा नं० <u>161/0222</u> के काश्तकार <u>गुड्डासिंह</u> पुत्र <u>जयपालसिंह</u> हिस्सा <u>140</u> जाति <u>जाट</u> निवासी <u>जायलगाँव</u> खातेदार राहिन हिस्सा <u>148</u> बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <u>कैरत</u> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <u>कैरत</u> दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार <u>डीग</u> को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक <u>26.11.2025</u> को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	<p></p>

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी  
डीग (जिला डीग)